

17/11/15

चकुलार फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी रूपा स्वयं उपस्थित। अजमेर में  
 उपस्थित। उन्होंने सामुहिक प्रार्थना पत्र वास्ते राजिनामा से प्रकरण  
 पर कार्यवाही ड्रॉप करने का बत पेश कर निवेदन किया कि उक्त  
 प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से  
 राजिनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण को पक्षकारों  
 के मध्य राजिनामा से लगे के कारण प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही  
 ड्रॉप करवाना चाहिए है। पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता  
 श्री सुरजसिंह चौहान व पुत्रराज कलवार ने की है। प्रार्थना पत्र  
 व प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य  
 होने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण पर कार्यवाही  
 ड्रॉप करने के आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली ईश्वर  
 सुमार होकर नम्बर से कम है।

प्रदेश, प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं है।

रूपा

मोहनसिंह

वाकिसिंह

उपखण्ड अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर)

